



# केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली -110 001  
फोन: 23353503, फेक्स: 23753923

याचिका सं. 244 / टीएल / 2023

दिनांक: 23.11.2023

## विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

फतेहगढ़ IV ट्रांसमिशन लिमिटेड, टी-15 ए, तृतीय तल, सैल्कन रासविलास, साकेत, नई दिल्ली-110017 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण (बीओओटी) आधार पर "फेस III-भाग ए1 के अधीन राजस्थान (20 जीडब्ल्यू) में आरईजेड से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" ("परियोजना") की स्थापना के लिए अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञापि प्रदान किए जाने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14, 15 और 79(1)(ड) के अधीन आवेदन किया गया है:

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1.	2x125 एमवीएआर बस रिपक्टर के साथ फतेहगढ़-4 पीएस पर 5x500 एमवीए, 400 / 220 केवी पूर्णिंग स्टेशन की स्थापना <ul style="list-style-type: none"> <li>400 / 220 केवी, 500 एमवीए आईसीटी - 5 नंबर</li> <li>400 केवी आईसीटी बे - 5 नंबर</li> <li>220 केवी आईसीटी बे - 5 नंबर</li> <li>400 केवी लाइन बे - 2 नंबर</li> <li>220 केवी लाइन बे - आरई विकासकर्ताओं को प्रदान की गई संयोजकता के अनुसार (वर्तमान में बे के 7 नंबर पर विचार किया गया)</li> <li>125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिपक्टर - 2 नंबर</li> <li>420 केवी रिपक्टर बे - 2 नंबर</li> <li>220 केवी सेक्शनलाइजेशन बे: 1 सेट</li> <li>220 केवी बस कप्लर (बीसी) बे - 2 नंबर</li> <li>220 केवी ट्रांसफर बस कप्लर (टीबीसी) बे - 2 नंबर</li> </ul> <b>भावी प्रावधान: निम्नलिखित के लिए स्थान:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>बे के साथ 765 / 400 केवी आईसीटी: 6 नंबर</li> <li>स्विचेबल लाइन रिपक्टर के साथ 765 केवी लाइन बे: 6 नंबर</li> <li>बे के साथ 765 केवी बस रिपक्टर: 3 नंबर</li> <li>बे के साथ 400 / 200 केवी आईसीटी: 8 नंबर</li> <li>स्विचेबल लाइन रिपक्टर के साथ 400 केवी लाइन बे: 10 नंबर</li> <li>बे के साथ 400 केवी बस रिपक्टर: 2 नंबर</li> <li>400 केवी सेक्शनलाइजेशन बे: 2 सेट</li> <li>220 केवी लाइन बे: 13 नंबर</li> <li>220 केवी सेक्शनलाइजेशन बे: 3 सेट</li> <li>220 केवी बस कप्लर (बीसी) बे - 3 नंबर</li> <li>220 केवी ट्रांसफर बस कप्लर (टीबीसी) बे - 3 नंबर</li> </ul>	18 मास
2.	फतेहगढ़-4 पीएस - फतेहगढ़-3 पीएस 400 केवी डी / सी टिवन एचटीएलएस* लाइन	
3.	फतेहगढ़-3 पीएस पर 400 केवी लाइन बे के 2 नंबर	

नॉमिनल वोल्टता पर प्रत्येक सर्किट पर 2100 एमवीए की न्यूनतम क्षमता के साथ

### नोट:

- फतेहगढ़-3 सबस्टेशन (नया सेक्शन) का विकासकर्ता फतेहगढ़-4 फतेहगढ़-3 400 केवी डी / सी टिवन एचटीएलएस लाइन के समापन के लिए फतेहगढ़-3 सबस्टेशन पर 400 केवी लाइन बे के 2 नंबर के लिए स्थान प्रदान करेगा।
- फतेहगढ़-4 पूर्णिंग स्टेशन पर आरई परियोजना की प्रथम बोली एसईसीआई / आरईआईए द्वारा प्रदान किए जाने के बाद योजना को प्रदान किया जाएगा।
- आवेदक को अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पीएफसी कंसलटिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर ₹ 248.67 मिलियन प्रति वर्ष के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रभारों के साथ पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है।
- सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 8.9.2023 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञापि प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
- रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 244 / टीएल / 2023 में दिनांक 22.11.2023 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञापि जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
- फतेहगढ़ IV ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञापि प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलनकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट [www.apraava.com](http://www.apraava.com) पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
- नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञापि प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 6.12.2023 तक अघोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आयोग द्वारा दिनांक 8.12.2023 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए / डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता / -  
(हरप्रीत सिंह पृथी)  
सचिव